# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26 / 2010 दायर दिनांकः 19.03.2010

**उनवान**

1. प्रेमशंकर पुत्र श्री नन्दलाल आयु 60 वर्ष जाति ब्राहमण साकिन श्री जी मन्दिर बारां पुजारी व व्यवस्थापक मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जिला बारां (राज0)
2. मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जर्ये पुजारी व्यवस्थापक वादमित्र प्रेमशंकर पुत्र नन्दलाल ब्राहमण नि0 बारां

**वादीगण**

**बनाम**

1. राज0 शासन जर्ये तहसीलदार साहब अटरू
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0एक्ट0**

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

## निर्णय

दिनांक 20.03.2020

पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया हैं कि बारां में मूर्ति श्री कल्याणराय जी का श्रीविगृह स0 1537 से बना हुआ हैं जिससे मूर्ति मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा (डोरा) होकर सेवा पूजा, अर्चना, तेल भोग, अंजन आरती के लिए वादी के पूर्वज श्री चंपालाल को पुजारी नियुक्त किया गया। स0 1537 से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर निर्बाध मूर्ति श्री कल्याण राय जी वादी क्रम 2 के वादी क्रम 1 तथा चंपालाल जी की वंशानुगत शाखा अनुसार 6 शाखाओं के विभिन्न पुजारी नियमित सेवा पूजा करते आ रहे हैं। जिनकी सेवा पूजा के निमित्त व्यवस्था बनी हुई हैं। अपनी—अपनी वंश के हिस्से अनुसार सभी पुजारी अपने—अपने वंश का दायित्व पूरा करते हैं तथा उसी अनुरूप मूर्ति की सम्पत्ति बहैसियत पुजारी करते रहे हैं। मुर्ति की संपत्ति के अंतर्गत केवल मन्दिर की व्यवस्था,

देखभाल, शासन की निगरानी में होता हैं तथा सेवा पूजा, तेल भोग, अंजन आरती की सम्पूर्ण व्यवस्था पुजारी अपने स्तर पर करते हैं पूर्व में सरकार ने एक व्यवस्था करके 720 रूपये प्रतिवर्ष पुजारियों से जमा करवाने का आदेश दिया बाद में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। वादी क्रम 1 वादी क्रम 2 का व्यवस्थापक पुजारी हैं। वादी क्रम 1 व 2 के अधिकार एक दूसरे के विपरित नहीं हैं। वादी क्रम 2 के हितों के रक्षार्थ यह वाद करना आवश्यक हैं। वादी क्रम 1 के हिस्से में माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी के नाम से जाने जानी वाली निम्नानुसार आराजियात वर्तमान में कब्जे काश्त पर हैं। जिसका विवरण इस प्रकार से हैं। वाके माल छैलाबैल तह0 अटरू में राजस्व रिकॉर्ड संख्या 2063 अनुसार निम्नानुसार आराजी स्थित हैं।

| ख0न0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 318/710 | 0.0500 | बा0–1 | 0.45 |
| 321/644 | 0.1500 | बा0–1 | 1.35 |
| 322 | 3.1300 | ..... | 28.17 |
| 323 | 0.7300 | ..... 6.57 | |
| 325 | 0.2600 | बारानी–2 | 1.82 |
| 326 | 1.4400 | ..... | 10.08 |
| 327 | 0.0700 | बंजड़ | 0.28 |
| 636/720 | 0.0400 | बा0–2 | 0.28 |
| 337 | 1.94 | बा0–2 | 13.58 |
| 338 | 0.32 | ..... | 2.24 |
| 344/706 | | माल–1 | 1.80 |
| 11 किता | 8.28 | | 66.62 |

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बहैसियत खातेदार मन्दिर कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां खातेदार अंकित हैं जो सर्वथा गलत हैं। वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व बन्दोबस्त मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 अनुसार निम्नानुसार आराजी अंकित थी।

| खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 278 | 2 बी0 | बा0–2 |
| 289 | 3 बी0 3 बि0 | बा0–1 |
| 280 | 7 बी018 बि0 | बंजड़ |
| 281 | 1 बी0 10 बि0 | ..... |
| 282 | 1 बी0 15 बि0 | बा0–3 |
| 284 | 4 बि0 | बा0–1 |
| 285 | 2 बी0 2 बि0 | ..... |
| 286 | 2 बी0 16 बि0 | माल–2 |
| 287 | 20 बी0 14 बि0 | ..... |
| 288 | 10 बी0 4 बि0 | ..... |
| 288/727 | 1 बी0 17 बि0 | ..... |
| 11 किता | 52 बीघा 3 बि0 | कुल लगान 60–रू0 3 आना |

उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार सरकार द्वारा दी गई माफी अथवा छोटे–छोटे अनुदान श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां पुजारी नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन कोम ब्राहमण साकिन बारां दर्ज रहा। जो जमाबन्दी स0 2037 से 2040 अनुसार पुष्ट हैं इससे पूर्व उक्त वर्णित आराजियात माल छैलाबैल मुताबिक जमाबन्दी स0 2005 से 2008 व 2009 से 2012 तक खातेदार श्रीलाल वल्द बालाबक्श हिस्सा 1/4 नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन 3/4 मुताबिक जमाबन्दी सं0 2009 से 12 उक्त आराजियात भी उक्त अनुसार उक्त आराजी ख0न0 651/214, ख0न0 644/214, ख0न0 655/214, खसरा नम्बर 652/216–217, ख0न0 653/214–225, खसरा नं0 656/217–218, खसरा नम्बर 657/219, खसरा नम्बर 658/223, खसरा नम्बर 802/625, खसरा न0 803/225, खसरा नम्बर 660/226–228, खसरा नम्बर 804/225 एवं खसरा न0 805/225 कुल किता 14 कुल रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा लगान 18–रूपये 10 आना हैं। इसी प्रकार वाके माल मूण्ड़ला तह0 अटरू में मुताबिक जमाबन्दी स0 2063 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1/1233, ख0न0 2/1234 एवं खसरा नम्बर 8 कुल किता 3 कुल रकबा 4.60 है0 लगानी 40.62–रूपया मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड स्थित हैं जिस पर बहैसियत खातेदार श्री

कल्याणराय जी ठाकुर जी बारां प्रतिवादी क्रम 1 ने अंकित किया हुआ हैं। जो सर्वथा मनमाना एवं अविधिक हैं इससे पूर्व बंदोबस्त के प्रतिकूल प्रतिवादी क्रम 1 को गत प्रविष्टि को बदलने का कोई वैंधानिक अधिकार नहीं था। मुताबिक जमाबन्दी स0 2038 से 41 वाके माल मूण्ड़ला की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रिज्यूम 01/08/60 श्री कल्याणराय जी मन्दिर विराजमान मन्दिर बारां पुजारी नंदलाल गोपाल पिस0 राधाकिशन ब्राहमण साकिन बारां के रूप में दर्ज थी। जिसका खसरा नम्बर 2 रकबा 28 बी0 9 बि0 लगानी 33 रू0 13 आना हैं। मुताबिक जमा0 स0 2006–09 में वाके माल मूण्ड़ला की आराजियात खसरा नम्बर 2 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा लगानी 14–रूपये 4 आना बखाता मन्दिर माफी श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां खातेदार नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन के रूप में दर्ज रही हैं। इसी प्रकार की प्रविष्टि स0 2010 से 13 में दौराई गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि बाबत् स्पष्ट अंकन हैं कि माफीदार नंदलाल गोपाल हैं उक्त वर्णित जमाबंदियों में निर्विवाद रूप से वादी एवं उसके पूर्वज विवादित भूमियों के तनहा खातेदार बहैसियत पुजारी रहे हैं तथा उक्त खातेदार श्रीलाल राधाकिशन के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी नंदलाल व गोपाल हुए तथा खातेदार नंदलाल गोपाल के वर्तमान जीवित वारिस उत्तराधिकारी वादी एवं उसके भाई धनराज व भवानीशंकर हैं। नंदलाल गोपाल के वारिसान ने अपने हक हिस्से अनुसार कल्याणराय जी की सेवा पूजा के निमित स्थित उक्त आराजियात का अपनी–अपनी सुविधानुसार बटंवारा कर लिया। जिसके तहत उक्त वर्णित आराजियात वादी क्रम 1 को प्राप्त हुई जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया हैं जो वादी के तनहा हिस्से में हैं। यही भूमि इस वाद पत्र की विषय वस्तु हैं। विवादित भूमि से राजस्व रिकॉर्ड की उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर तनहा तौर पर मंदिर श्री कल्याणराय जी की खातेदारी दर्ज होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय अंकित करके वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। इसी हेतु दिनांक 31/05/93 का एक अनुचित अवैधानिक एवं कानून बाह्य आदेश बताकर मनमाने तरीके से जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। आज तक विवादित भूमि से वादी को बेदखल करने में प्रतिवादीगण सफल नहीं हुए हैं किन्तु अब वादी के अधिकारों पर ताकत के बल पर जबरन अतिक्रमण करने की प्रतिवादीगण ने धमकी दी हैं अस्तु न्यायालय श्रीमान की शरण आवश्यक हैं। जागीर पुनर्गहण एवं भूसुधार अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जागीर लेण्ड़ पर वादी का अधिकार स्वत्व

निर्विवाद हैं इस बाबत् राज0 सरकार राजस्व ग्रुप–6 द्वारा दिनांक 24/05/07 को एक परिपत्र जारी करके जागीर भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेख में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को खातेदारी में अनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त हैं दर्ज हैं। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और ऐसी भूमि के लिए खातेदार काश्तकार कहलायेंगा। सरकार के उक्त स्पष्टीकरण एवं विधिक प्रावधानों के बावजूद कानून बाह्य आदेश दि0 31/05/93 की आड़ में प्रतिवादीगण जबरन वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में खिलाफ वादी की गई सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ अप्रभावी एवं शून्य हैं तथा उन्हें निरस्त करवाकर वादी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स0 2005 एवं 2037–40 के अनुसार पुजारी नंदलाल गोपाल के स्थान पर विवादित आराजियात में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी एव नॉलिशी हैं। वादी के पिता श्री नंदलाल का दि0 03/10/02 को तथा उनके भाई गोपाल का दि0 22/05/96 को स्वर्गवास हो गया हैं मृतक नंदलाल गोपाल के धनराज, भवानीशंकर एवं वादी जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी क्रम 2 ने आदेश दिनांक 19/08/91 से नंदलाल गोपाल को मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां का औसरेदार वंश परम्परागत पुजारी स्वीकार किया हुआ हैं किन्तु उनकी मृत्यु के बाद आवेदन करने के बाद भी आज तक वादी एवं धनराज तथा भवानीशंकर को पुजारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई इस बाबत् सक्षमदीवानी वाद जेरकार हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज ने पत्रावली संख्या 76/96 निर्णय दि0 22/12/99 से उपशासन सचिव का विवादित आदेश ता0 31/05/93 अप्रभावी एवं शून्य घोषित किया हुआ हैं। जिसके आधार पर प्रतिवादी वादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही करने को सक्षम नहीं हैं। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बारां ने भी पुजारी मोहनलाल को निरंतर मुर्ति श्री कल्याणराय जी की सेवा पूजा करने बाबत् अधिकृत किया हुआ हैं तथा स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं कि कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपी0/वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलअंदाजी न करें। वादी को श्री कल्याणराय जी की सेवा पूजा तेल भोग हेतु सुखाधिकार प्राप्त हैं। विधि की स्थापित प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत् कार्यवाही किये बिना ही प्रतिवादीगण राठौड़ी

के तहत ताकत के बल पर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। मूर्ति श्री कल्याणराय जी श्री विग्रह की स्थापना विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वादी के पूर्वजों द्वारा निजी पारिवारिक सेवा पूजा, अर्चना एवं नित्य धार्मिक कार्य हेतु निजी स्वामित्व एवं अधिपत्य के परिसर में करके श्री कल्याणराय जी की प्रतिमा स्थापित की हैं इस प्रकार स्थापित प्रतिमा के स्थापना काल से ही सेवा पूजा के निमित विवादित आराजियात सहित सम्पूर्ण भूमि की प्रबन्ध व्यवस्था करते हुए प्राप्त आय से स्वंतत्र अपना अपने परिवार एवं मूर्ति की नित्य सेवा पूजा के निमित स्थापित परम्परा अनुसार धार्मिक अनुष्ठान जप तेल भोग आदि की व्यवस्था वादी कर रहा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल करने अथवा अन्यथा प्रकार से बिना विहित प्रक्रिया के बेकब्जा करने की स्थिति में वादी क्रम 2 की सेवा पूजा में व्यवधान एवं वादी के परम्परागत अधिकार में बाधा होंगी। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। वंश परम्परागत वादी सहित अन्य पुजारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश का अधिकार नहीं हैं यदि प्रतिवादीगण अपने अनुचित उद्देश्यों में सफल हो गये तो वादी के अधिकारों का स्पष्टतया हनन हो जावेंगा तथा सर्वथा विधि विपरित कृत्य होगा। पुजारियों के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं हैं। विवादित आराजियात का कर्ता लगान भूराजस्व शासन द्वारा धार्मिक दृष्टि से राज0 भूसुधार अधिनियम के लागू होने के पूर्व तक माफ चला आ रहा था तथा वादी एवं उसके पूर्वज माफीदार कहलाते थे इसी कारण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि माफी कल्याणराय जी के नाम से अंकित रही हैं उक्त भूमि पर प्रतिमा का सन्दर्भ देने की दृष्टि से माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी के रूप में अंकन दर्ज हुआ तथा बहैसियत पुजारी काबिज खातेदार वादी के पूर्वजों का नाम दर्ज हुआ हैं। वादी एवं अन्य वंश परम्परागत औसरेदार पुजारी ही वादी के सेवायत हैं जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित हैं। लगान सरकार द्वारा वसूली योग्य होने पर वादी द्वारा लगान अदा किया गया हैं बाद में राज्य सरकार ने सम्पूर्ण बारानी भूमि का लगान माफ कर दिया इस कारण वादी से लगान नहीं लिया गया। विवादित भूमि बारानी हैं इससे पूर्व बारानी भूमि का लगान वादी अदा करता आ रहा हैं। वादी ने अपने मृतक पिता एवं पूर्वजों के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु सक्षम आवेदन कर दिया हैं जिसकी जांच भी प्रतिवादी क्रम 2 ने करवा ली हैं किन्तु अकारण परेशान करने के आशय से प्रमाण पत्र जारी नहीं

कर रहे हैं। उनकी दुर्भावना सुस्पष्ट प्रमाणित होती हैं। प्रतिवादी क्रम 2 मनमाने तरीके से विवादित आराजियात पर अपना हक अधिकार जताते हुए विवादित आराजियात को अपने अधिकारों का दुर्पयोंग कर अपने अधिकारों का दुर्पयोंग कर जबरन आराजियात विवादग्रस्त पर अतिक्रमण कर प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित आराजियात को मुनाफा काश्त से नीलाम करने पर आमादा हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 की इसमें मिली भगत हैं। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वादी एवं उसके भाई धनराज व भवानीशंकर का विवादित आराजियात से बेदखल करने की धमकी देने एवं दिनांक 22/02/10 को वादी द्वारा राज्य सरकार जर्ये जिला कलेक्टर को जर्ये अधिवक्ता नोटिस प्रेषित करने उन्हें नोटिस प्राप्त हो जाने पर अन्तिम बार उत्पन्न हुआ अस्तु वाद अन्दरमियाद पेश हैं। न्यायशुल्क के प्रयोजन से विवादित आराजियात के निश्चित लगान 108/—रूपये का 20 गुना 216/—रू0 वास्ते घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु 2160/—रू0 कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क अदा करते हुए वाद पेश हैं। वादी ने वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं जो प्राप्त भी हो गया हैं जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हैं यदि विहित अवधि का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर देंगे अस्तु मियाद अवसान से पूर्व दफा 80 (2) जा0दी0 के प्रावधानों के तहत यह वाद प्रस्तुत हैं। आवेदन पृथक से संलग्न हैं। माननीय न्यायालय को वाद के परीक्षण का आर्थिक व क्षैत्रीक अधिकार प्राप्त हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वाद निम्न प्रकार सादर डिक्री जयपत्र जारी फरमाया जावें ।

(अ) विवादित आराजियात वाके माल मूण्ड़ला एवं छैलाबैल तह0 अटरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी पुजारी प्रेमशंकर पुत्र नंदलाल का नाम दर्ज किया जावें इस निमित राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ वादी के विरूद्ध अप्रभावी एवं शून्य घोषित फरमाई जावें।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी को विहीत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अथवा अविधिक तरीके से ताकत के बल पर वादी को बेदखल नहीं करें। बहैसियत पुजारी वंशानुगत औसरेदार पुजारी के अधिकारों में निर्धारण बाद

सुनवाई किये जाने बाबत् आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अन्य मदाखालात बेजा ना तो स्वंय करें ना अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) खर्चा मुकदमा एवं अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वादी को दिलवाई जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया हैं चरण सं0 1 अस्वीकार हैं पैरा में अंकित विवरण दीवानी प्रकृति से सम्बन्धी अधिकार हैं। चरण संख्या 2 स्वीकार हैं यह मंदिर राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां का हैं जो देवस्थान विभाग कोटा के अधीन हैं भूमि माल छैलाबैल की हैं रिकार्ड की सूचना किता 11 रकबा 8.28 है0 मंदिर श्री कल्याण राय जी महाराज बारां के नाम दर्ज हैं चरण संख्या 3 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं। रिकार्ड में ग्राम छैलाबैल की 11 किता भूमि रकबा 52 बीघा 03 बिस्वा लगानी 60/—रू0 03 आना मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के दर्ज हैं पुजारी का नाम भी दर्ज हैं। चरण संख्या 4 पुराने रिकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं। चरण संख्या 5 रिकार्ड अनुसार स्वीकार हैं। शेष अस्वीकार हैं। चरण संख्या 6 अस्वीकार हैं ग्राम मूण्ड़ला की भूमि कब्जे सरकार में हैं जिसकी हर वर्ष तहसील से नीलामी बोली पुकरवायी जाती हैं। चरण संख्या 7 अस्वीकार हैं यह भूमि ग्राम मूण्ड़ला की मूर्ति मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के खाते दर्ज हैं। चरण संख्या 8 अस्वीकार हैं। पुराने रिकार्ड की प्रविष्टिया राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप—6) विभाग द्वारा एक परिपत्र पं0 2 (4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 जारी किया गया। इस परिपत्र की पालना में मंदिर की भूमि पर अंकित पुजारियों के नाम हटा दिये गये हैं। पुजारियों को मंदिर की भूमि पर खातेदारी दर्ज किये जाने का कोई अधिकार नहीं हैं। पुजारियों के नाम केवल तहसील कार्यालय में पृथक से सन्धारित रजिस्टर में ही नाम दर्ज कराने का ही अधिकार हैं। चरण संख्या 9 अस्वीकार हैं चरण की रचना निजी रूप से की गई हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। चरण संख्या 10 अस्वीकार हैं पुजारी या शिवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार हैं तो वह एक दीवानी अधिकार हैं जिसका सम्बन्ध दीवानी न्यायालय से हैं राजस्व कानून अथवा काश्तकारों के अधिकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिखें जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं अत : देवमूर्ति के हितों की

सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के सम्बन्ध में अनावश्यक मुकदमें बाजी रोकने के लिए यह निर्णय किया गया हैं कि 1. भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनायी जावें उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावें। 2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर सन्धारित किया जावें। 3 जो जमाबन्दी बन चुकी हैं तथा वर्तमान में प्रभावशील हैं उनमें देवमूर्ति के साथ जहाँ भी पुजारी का नाम आया हैं वहाँ पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावें तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावें इसी व्यवस्था में नाम हटाया गया हैं। चरण संख्या 11 अस्वीकार हैं पुजारी का नाम विधिक व्यवस्था के अनुरूप ही हटाया गया हैं। चरण संख्या 12 अस्वीकार हैं श्री कल्याणराय जी महाराज बारां की मूर्ति शाश्वत् अवयस्क हैं तथा मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी पुजारी का नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। चरण संख्या 13 अस्वीकार हैं मंदिर की भूमि की काश्त व्यवस्था हर साल खुली नीलामी बोली लगाकर प्राप्त राशि का संग्रह देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता हैं। चरण संख्या 14 अस्वीकार हैं। चरण संख्या 15 अस्वीकार हैं। प्रश्नगत भूमि पर राज0 सरकार का ही कब्जा हैं जब कब्जा राज0 सरकार का ही हैं तभी तो हर वर्ष मुनाफा काश्त की खुली नीलामी बोली लगाई जाती हैं। चरण संख्या 16 कानूनी हैं यह एक दीवानी अधिकार हैं। चरण संख्या 17 अस्वीकार हैं। चरण में अंकित भाषा तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। चरण संख्या 18 अस्वीकार हैं तहसील द्वारा राज0 सरकार देवस्थान विभाग तथा जिला कलेक्टर महोदय बारां के आदेशों के अधीन हर वर्ष मुनाफा काश्त की कार्यवाही की जाती हैं। चरण संख्या 19 अस्वीकार हैं चरण में जो विषय वस्तु बताई गई हैं वह दीवानी अधिकार हैं। चरण संख्या 20 अस्वीकार हैं। चरण संख्या 21 अस्वीकार हैं। मौके पर मुनाफा काश्त की कार्यवाही प्रतिवर्ष निर्बाध रूप से सम्पन्न की जा रही हैं। चरण संख्या 22 अस्वीकार हैं। भूमि की नीलामी विधि अनुरूप की जाती हैं। चरण का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से हैं। चरण संख्या 24 अस्वीकार हैं। नोटिस 80 सी0पी0सी0 की अवधि का इन्तजार करना आवश्यक हैं।

अतः वाद पत्र का जवाब पेश कर निवेदन हैं कि वाद दफा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0ए0 के तहत मंदिर की भूमि पर खातेदारी प्रदान न की जावें दावा खारिज किया जावें।

प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि वाद पत्र की मद नं0 1 में ग्राम बारां में मूर्ति श्री कल्याणरायजी महाराज विराजमान स्वीकार हैं शेष मद जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं तथा मद में जो आगे तथ्य अंकित किये हैं वह गलत अंकित किये हैं मंदिर की पूरी व्यवस्था प्रतिवादी क्रम 2 के जिम्मे हैं जिसमें मंदिर की सम्पत्ति की व्यवस्था भी प्रतिवादी क्रम 2 के जिम्मे हैं वादीगण द्वारा उक्त उनवान के वाद में वर्णित आराजी पर जबरन अवैंधानिक रूप से कब्जा बना रखा हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 में माल छैलाबैल तह0 अटरू में कुल किता 11 का कुल रकबा 8.28 है0 आराजी मंदिर कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते की होना स्वीकार हैं। शेष मद में अन्तिम शब्द जो सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 3 में भी आराजी कुल किता 11 का कुल रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा मंदिर श्री कल्याणराय जी की होना स्वीकार हैं शेष मद जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 पूरी ही गलत तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही हैं। वाद पत्र की मद नं0 5 जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं। वादीगण जबरन अपने आपको माल मूण्ड़ला तह0 अटरू की मंदिर श्री कल्याणराय जी के खाते की आराजी को स्वंय के खाते की आराजी मानने लगे हैं। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार हैं उक्त मद में वर्णित आराजी के खातेदार श्री कल्याणराय जी महाराज ही हैं। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार हैं। राजस्व रिकॉर्ड में माल मूण्ड़ला तहसील अटरू की आराजी मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज बारां के खाते की ही हैं। वाद पत्र की मद नं0 8 भी अस्वीकार हैं क्योंकि वादीगण व उनके पूर्वज अपने आपको कल्याण राय जी महाराज के खाते की आराजी को स्वंय के खाते की आराजी मानने लगे हैं जो सर्वधा गलत हैं। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार हें वादीगण को मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज के खेत की आराजी का विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण द्वारा पूरा ही राजस्व कानून का उल्लघंन कर रखा हैं। वाद पत्र की मद नं0 10 जिस तरह से दर्ज किया गया हें स्वीकार नहीं हें क्योंकि कानून द्वारा तथा सरकार द्वारा उक्त वाद में वर्णित आराजी का प्रबन्ध, उपभोग उपयोग व्यवस्था करने का अधिकार प्रतिवादी क्रम 2 को दे रखा हैं और प्रतिवादी क्रम 2 विधिक प्रक्रिया अपनाकर वादीगण को कानूनन बेदखल करवाकर आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं तथा आदेश दिनांक 31/05/93 एक विधिक

आदेश हैं जो सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया हैं। वाद पत्र की मद नं0 11 पूरी ही मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। वादीगण द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188, 92 (ए) के तहत वाद पेश किया हैं और इन धाराओं के अन्तर्गत मंदिर श्री कल्याणरायजी विराजमान बारां के खाते की आराजी वादीगण के खाते बांधने का कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं हैं। इस वजह से वादीगण का वाद काबिल निरस्तनीय हैं। वाद पत्र की मद नं0 12 भी जिस प्रकार से दर्ज की गई हैं स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 13 की जानकारी प्रतिवादी क्रम 2 को नहीं होने की वजह से उक्त मद अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 14 जिस तरह से दर्ज की गई हें स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 15 जिस तरह से दर्ज की गई हें स्वीकार नहीं हैं वादीगण ऐन केन प्रकरण मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज के खाते की आराजी को हड़पना चाहते हैं भगवान की सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति में भगवान के प्रति आस्था होती हैं लेकिन यहाँ पर वादीगण का उद्देश्य मात्र कल्याणराय जी महाराज की आराजी अपने खाते दर्ज करवाने का रहा हैं। कल्याणराय जी महाराज से वादीगण को कोई लेना देना नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 16 अस्वीकार हैं क्योंकि प्रतिवादी क्रम 2 कानूनी प्रक्रिया अपनाकर वादीगण को बेदखल आराजी कर रहे हैं जिसका प्रतिवादी क्रम 2 को पूर्ण अधिकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 17 अस्वीकार हैं क्योंकि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश किया हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 18 पूरी ही मनगढ़नत एवं झूठें तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। वादीगण का तथा वादीगण के अन्य पारिवारिक सदस्यों का उद्देश्य श्री कल्याणराय जी महाराज के खाते की आराजी को हड़पने का रहा हैं। वाद पत्र की मद नं0 19 जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं क्योंकि वादीगण के पूर्वजों के खाते की नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 20 जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं वादीगण राजस्व रिकार्ड में बहैसियत पुजारी भी दर्ज कराने के कानूनी तौर पर अधिकारी नहीं हैं क्योंकि मंदिर की आराजी पर किसी का भी नाम दर्ज नहीं होता हैं जैसा की कानून कहता हैं। वाद पत्र की मद नं0 21 अस्वीकार हैं क्योंकि न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को कब्जा सम्भलायेंगा तभी प्रतिवादी क्रम 2 कब्जा समालेगा। वाद पत्र की मद नं0 22 अस्वीकार हैं कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ वादीगण द्वारा जमीन पर कब्जा बनाये रखने तथा आराजी हड़पने की नियत से यह

दावा पेश किया गया हैं तो काबिल निरस्तनीय हैं। वाद पत्र की मद नं0 23 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 24 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 25 कानूनी हैं। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है नहीं हैं। वादीगण का वाद काबिल निरस्तनीय हैं।

## विशेष विवरण मय प्रतिवाद पत्र

वादीगण के पिता नंदलाल एवं गोपाल पुत्र राधाकिशन वगै0 द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग अटरू के यहाँ बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसका वाद संख्या 06/94 हैं तथा एक वाद और भी पेश किया था जिसका वाद संख्या 06/94 हैं दोनों ही वादों में पक्षकार पुजारीगण तथा सरकार एवं देवस्थान विभाग जयपुर था तथा विवादग्रस्त आराजी एवं अनुतोष भी एक तरह का था इस वजह से दोंनो ही वादों को कंसोलिडेटेड किया जाकर वाद की सुनवाई की जाकर दि0 02/02/2010 को निर्णय पारित करते हुए वाद खारिज किया गया था और जो वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 अटरू द्वारा दि 02/02/10 को निर्णय पारित किया उसमें विवादग्रस्त आराजी अटरू क्षैत्र में स्थित श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते की आराजी थी निर्णय दिनांक 02/02/10 काबिल गौर हैं। दिनांक 31/05/93 का प्रतिवादीगण द्वारा जारी आदेश एक विधिक आदेश था जिसको प्रभाव शून्य घोषित करवाने बाबत् दावा किया था। जो दिनांक 02/02/10 को खारिज हो चुका हैं इसका वाद पत्र पर क्या असर हैं। वादीगण द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जिसका मि0न0 09/2000 हें जिसमें दिनांक 22/01/03 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज हो चुका हैं। अब पुनः वादीगण द्वारा उसी आराजी को लेकर उन ही पक्षकारों के बीच में यह वाद पेश हैं जो सेक्शन 11 रेसजुडिकेटा से स्टोम्पड़ हैं। मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के स्वामित्व (खाते की ) एवं कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी जो अटरू तहसील क्षैत्र में ग्राम सहरोद में 8.40 है0 ग्राम कोटड़ा में 8.31 है0, चरड़ाना में 4.77 है0, अन्ताना में 9.66 है0, मूण्ड़ला में 4.60 है0, खेड़लीगंज में 3.26 है0 स्थित हैं उक्त सम्पूण आराजियात प्रतिवादी क्रम 2 देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियमित हैं। सम्पूर्ण आराजियात की व्यवस्था देवस्थान के विभाग के ऊपर ही हैं। वादीगण इस तरह के वाद पेश करके जबरन आराजी पर कब्जा बनाये रखना चाहते हैं जिसका

उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी क्रम 2 माननीय न्यायालय मे जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण क्रम 2 को दिलवाया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द किया जावें कि वह प्रतिवादीगण क्रम 2 को आराजी का प्रबन्ध व्यवस्था करने देंवे। इस वजह से यह प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश करने का कारण दिनांक 15/03/10 को पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा पुनः मनगढ़न्त एवं झूठें तथ्यों पर यह वाद पेश किया हैं। प्रतिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2 जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की मद नं0 2, 3 व 4, 5 दर्ज आराजी पर से वादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी क्रम 2 को दिलवाया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रतिवादी क्रम 2 को मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के खाते की आराजी का प्रबन्ध नियंत्रण व्यवस्था करने देंवे।

वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब एवं काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया गया कि मद नम्बर 1 प्रतिदावा में में विवादित आराजियात मूर्ति श्री कलयाणराय जी की खातेदारी में दर्ज हाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं हैं। शेष मद नं0 1 को प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। वादी मद हाजा में वर्णित अपने अभिवचनों की सत्यता पर बल देता हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में सही तथ्य अंकित किए हैं। प्रतिवादी क्रम 2 का यह कथन सर्वथा गलत हैं कि मंदिर की पूरी व्यवस्था प्रतिवादी क्रम 2 करता हो अपितु सेवा पूजा का अनन्य अधिकार वादी एवं उसके बंधू बांधुओं को हैं जो अपने अपने ओसरे अनुसार सेवा पूजा करता चला आ रहा हैं। वादी को सेवा पूजा का अधिकार विरासत में प्राप्त हैं सक्षम न्यायालय से वादी मूर्ति कल्याणरायजी का घोषित पुजारी हैं। विवादित आराजियात पर वादी का कब्जा अवैंधानिक न होकर वैधानिक हैं। सेवा पूजा तेल भोग, दीपक , आरती, अंजन मंदिर के उत्सव इत्यादि की सपूंर्ण व्यवस्था सहित

वादी का जीवन विवादित आराजियात पर ही निर्भर हैं। मद नम्बर 2 प्रतिदावा में विवादित आराजियात बाबत् दिए गए तथ्य स्वीकार हैं। शेष मद को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। मद नम्बर 3 प्रतिदावा जिस प्रकार लिखी हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 4 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी वाद में दिए गए तथ्यों पर बल देता हैं तथा उन्हें सत्य होना घोषित करता हैं। मद नम्बर 5 प्रतिदावा जिस प्रकार लिखी हैं स्वीकार नहीं हैं। विवादित आराजियात निर्विवाद रूप से मूर्ति कल्याणराय जी की खातेदारी की हैं। प्रतिवादी क्रम 2 का यह कथन अस्वीकार हैं कि वादी विवादित आराजियात को अपनी खातेदारी की मान रहा हो बल्कि मूर्ति कल्याणराय जी के साथ–साथ विवादित आराजियात पर बहैसियत पुजारी व्यवस्थापक अपने अधिकारों की घोषणा करा पाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। मद नम्बर 6 प्रतिदावा बाबत् कोई आपत्ति नहीं हैं मद हाजा को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। मद नम्बर 7 वाद पत्र को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। विवादित आराजियात मूर्ति कल्याणराय जी विराजमान बारां पुजारी व्यवस्थापक प्रेमशंकर भवानीशंकर धनराज की खातेदारी की हैं। मद नम्बर 8 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं बहैसियत पुजारी व्यवस्थापक विवादित आराजियात पर वादी अपनी खातेदारी घोषित करा पाने का अधिकारी हैं। विवादित भूमि निर्विवाद रूप से कल्याणराय जी की हैं किन्तु प्रतिवादी को विवादित आराजियात बाबत् किसी भी प्रकार का हक अधिकार दखलअन्दाजी का प्राप्त करने का नहीं हें। मद नम्बर 9 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं मुताबिक बाहमी विभाजन फेमिली सेटलमेन्ट वादी प्रेमशंकर, भवानीशंकर व धनराज ने अपनी–अपनी सेवा पूजा के हक अधिकार अनुसार विवादित आराजियात बाबत् व्यवस्था कर ली हैं जिसके अनुसार विवादित आराजियात वादी के हिस्से में हैं। मद नम्बर 10 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में पुजारियों के हक अधिकार कभी समापत नहीं किये अपितु हाल की में राजस्व रिकार्ड में पुजारियों को मान्यता देकर उनके कब्जे काश्त एवं अधिकार की भूमि पुनः उनके नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। प्रतिवादी ने विवादित आराजियात से वादी को बेदखल करने बाबत् कोई वेद कार्यवाही नहीं की हैं जबरन ताकत के बल पर वादी को उसके अधिकारों से वंचित करने को तत्पर हैं। दिनांक 31/05/93 के कथित आदेश की आज तक पालना नहीं की हैं दिनांक 31/05/93 के आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा

अप्रभावी एवं शून्य घोषित किया जा चुका हैं। 31/05/93 के आदेश के भाग– 2 की पालना किये बिना भाग–1 की पालना करने पर प्रतिवादी आमादा हैं प्रतिवादी0 वादी के मुकाबले अधिक सम्पन्न हैं अपने अधिकारों का प्रतिवादी दुरूपयोग करन पर आमादा हैं। कानून की पालना करने वाले कानून हाथ में लेकर जबरन वादी को उसे प्राप्त अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं। मद नम्बर 11 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं वादी के अभिवचनों को प्रतिवादी ने गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं। कानून के वैध प्रावधानों के अन्तर्गत वादी ने अपने अधिकारों की घोषणा की सीमा तक अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया हैं। विवादित आराजियात बाबत् मूर्ति की और से अपना कबजा बनाये रखने को वादी सक्षम हैं। तद्नुसार सहायता प्राप्त करने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं वादी का वाद विधितः डिक्री किये जाने योग्य हैं। मद नम्बर 12 वाद पत्र को प्रतिवादी ने सर्वथा गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं वादी मद नं0 12 में वर्णित अभिवचनों के सत्यता पर बल देता हैं। मद नम्बर 13 वाद पत्र के सभी कथन सत्य हैं जो प्रतिवादी की पूर्ण जानकारी में हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनि0खंड) किशनगंज में प्रतिवादी उत्तरदाता को पक्षकार बनाते हुए दावा संख्या 76/96 से 31/05/93 का आदेश अप्रभावी एवं शून्य घोषित किया हुआ हैं जिसकी अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई हैं। इसी प्रकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड़) बारां ने दावा संख्या 53/04 प्रेमशंकर बनाम राज0 सरकार सहायक आयुक्त देवस्थान तहसीलदार बारां, शासन सचिव देवस्थान विभाग सचिवालय जयपुर के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/04/2010 से प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज को मूर्ति कल्याणराय जी विराजमान बारां का पुजारी घोषित किया हुआ हैं उक्त वाद में न्यायालय ने यह भी आदेश दिया हैं कि 31/05/93 की सम्पूर्ण पालना होने तक वादी को आराजी से बेदखल नहीं करें। मद नम्बर 14 वाद पत्र को प्रतिवादी ने सर्वथा गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं मदहाजा के सभी तथ्यों की सत्यता पर वादी बल देता हैं मद नम्बर 15 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी निर्विवाद रूप से मंदिर कल्याणराय जी का पुजारी एवं सरंक्षक हैं जो परम्परागत तरीके से अपने औसरे अनुसार कई पीढियों से सेवा पूजा कर रहा हैं वादी की मूर्ति में घोर आस्था हैं वादी वाद में विवादित आराजियात पर मूर्ति कल्याणरायजी विराजमान बारां के साथ–साथ बहैसियत पुजारी सरंक्षक अपना नाम दर्ज करवाना

चाहता हैं इसी उद्देश्य के लिए इसी सीमा तक दावा पेश किया हैं। प्रतिवादी का यह कथन भी असत्य हैं कि वादी को मूर्ति कल्याणराय जी से कोई लेना देना नहीं हैं। अपितु वादी अपने औसरे अनुसार दिन रात भगवान की सेवा पूजा तेल भोग चाकरी अंजन आरती नैवैद्य अर्पण करता हैं। मद नम्बर 16 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं नियमानुसार वैध प्रक्रिया अपनाकर प्रतिवादी उत्तरदाता ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की हैं। शासकीय ताकत के बल पर वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं। मद नम्बर 17 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 18 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। स्वंय प्रतिवादी उततरदाता वादी के हक हिस्से की सेवा पूजा तेल भोग की आराजियात को हड़पने पर आमादा हैं। वादी को विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो भगवान की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती आदि बन्द हो जावेंगा इसकी पूर्ति अन्यथा रूप से सम्भव नहीं हैं। मद नम्बर 19 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। पूर्व जमाबन्दी बनदोबसत से पूर्व वादी के पिता स्व0 नंदलाल जी बहैसियत पुजारी मूर्ति कल्याणराय जी के साथ–साथ राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रहे हैं। मद नम्बर 20 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी कानूनन मूर्ति कल्याणरायजी के साथ–साथ बहैसियत पुजारी सरंक्षक विवादित आराजियात पर अपना नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं।, मद नम्बर 21 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। ताकत के बल पर प्रतिवादी उत्तरदाता जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। वादी को बेदखल करने के निमित्त अद्यतन कोई वैध कार्यवाही वादी के विरूद्ध नहीं की गई हैं। मद नम्बर 22 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 23 प्रतिदावा कानूनी हैं मद नम्बर 24 प्रतिदावा कानूनी हैं। मद नम्बर 25 प्रतिदावा कानूनी हैं। मद नम्बर 26 प्रतिदावा सर्वथागलत हैं सवीकार नहीं हैं। चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। वादी का वाद सर्वथा डिक्री किये जाने योग्य हैं।

## जवाब विशेष आपत्तियां एवं काउंटर क्लेम

मद नम्बर 1 काउंटर क्लेम जिस प्रकार लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं वाद क्रमांक 06/94 से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में जेरकार हैं। मद नम्बर 2 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। 31/05/93 का आदेश सर्वथा विधि विरूद्ध हें न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज ने दावा संख्या

76/96 से आदेश 31/05/93 अप्रभावी एवं शून्य घोषित कर दिया हैं वादी को विवादित आराजियात बाबत् कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में आदेश दिनांक 2/2/2010 के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन हैं। मद नम्बर 3 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। इस वाद के तथ्य एवं वाद संख्या 9/2/2000 के तथ्य पृथक–पृथक हैं सक्षम न्यायालय से वादी को पत्रावली संख्या दीवानी वाद संख्या 53/04 प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज को मूर्ति कल्याणरायजी विराजमान बारां का निर्णय दिनांक 13/4/2010 से परम्परागत औसरेदार पुजारी घोषित कर दिया हैं। वाद संख्या 09/2000 के तथ्य रिलिफ इस वाद से भिन्न हैं अस्तु प्रतिवादी का यह कहना सर्वथा गलत हैं कि वादी का वाद धारा 11 जा0दी0 से प्रभावित हो। मद नम्बर 4 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद हाजा में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात निर्विवाद रूप से मूर्ति कल्याणराय जी के स्वामित्व एवं वादी के कब्जेकाश्त में हैं। मुर्ति कलयाणरायजी विराजमान बारां सर्वथा नाबालिग हैं विवादित आराजियात सेवा पूजा से सम्बन्धित हैं जिसके बाबत् वादी को सेवा पूजा तेल भोग के बदले अपना कब्जा बनाये रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वाके माल सहरोद कोटड़ा, चरड़ाना, अन्ताना, मूण्ड़ला, खेड़लीगंज में स्थित आराजियात प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज के कब्जेकाश्त में हैं। प्रतिवादी द्वारा ना तो प्रबंधित हैं ना ही नियंत्रित हैं। मद नम्बर 5 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी का कब्जा अवैध हैं जिसे अपने कब्जे में बनाये रखने का पूर्ण अधिकार वादी को प्राप्त हैं। मद नम्बर 6 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य हैं वादी चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। प्रतिवादी उत्तरदाताओं को विवादित आराजीयात से वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विवादित आराजियात मूर्ति कल्याणराय जी की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती चाकरी की हैं जिसका प्रबंधन से कोई सम्बंध नहीं हैं। विवादित आराजियात को प्रतिवादी को अपने कब्जे में लेने का कोई अधिकार नहीं हैं। मद नम्बर 7 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवादी को प्रतिदावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं हें वादी का वाद सही एवं ठोस तथ्यों पर आधारित हैं। मद नम्बर 8 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवाद पत्र के साथ प्रतिवादी ने कोई न्यायशुल्क अदा नहीं किया हैं। मद नम्बर 9 काउंटर क्लेम में वर्णित प्रार्थना

स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवादी को विवादित आराजियात से वादी को बेदखल कराने का कोई अधिकार नहीं हैं न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रतिवादी हकदार हैं। मूर्ति की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती वादी के साथ–साथ उसके सहदायी बंघू बांधव करते हैं जो अपने–अपने औसरे अनुसार तेल भोग की व्यवस्था करते हैं अतः इस सम्बन्ध में प्रतिवादी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं हैं। काउंटर क्लेम पर उचित न्याय शुलक चस्पा नहीं हैं। काउंटर क्लेम से पूर्व विहीत प्रक्रिया का प्रतिवादी द्वारा अनुसरण नहीं किया गया हैं अतः काउंटर क्लेम निरस्तनीय हैं। काउंटर क्लेम में प्रतिवादी द्वारा वाद कारण पैदा होने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया हैं अस्तु काउंटर क्लेम निरस्तनीय हैं।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी का प्रतिदावा एवं काउंटर क्लेम सव्यय निरस्त किया जावें तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुए वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें।

दावें एवं जवाब दावे एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गये–

**तनकी सं0 – 01**. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थित है जिसकी पूजा अर्चना पुजारी के रूप में वादीगण तथा उनके पूर्वज सम्वत् 1537 से ही करते चले आ रहे है। जो वर्तमान में भी कर रहे है।

**(भा.सं0 वादीगण)**

**तनकी सं0 – 02.** आया माल हेलाबेल में किता 11 का रकबा 8.20 है0 पर खातेदार मन्दिर कल्याणराय जी महाराज विराजमान दर्ज है वह गलत दर्ज है।

**(भा.सं0 वादीगण)**

**तनकी सं0 – 03.** आया माल मण्डला तहसील अटरू में कुल किता 3 का कुल रकबा 4.60 है0 आराजी खातेदार श्री कल्याणराय जी ठाकुर जी बारां के नाम दर्ज है गलत दर्ज है।

**(वादीगण)**

**तनकी सं0 –04.** आया वाद पत्र के मद 2,3,4,5,6 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में माफीदार नंदलाल गोपाल के नाम दर्ज है। अब वादीगण उनके वंशज उक्त आराजी अपने नाम खाता दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

**(वादीगण )**

**तनकी सं0 – 05.** आया न्यायालय सिविल न्यायालय किशनगंज संख्या 76/96 निर्णय 22.12. 99 का वाद पर क्या असर है।

**(वादीगण )**

**तनकी सं0 –06.** आया वादीगण को मूर्ति कल्याणराय जी की सेवा पूजा को सुखाधिकार प्राप्त है।

**(वादीगण )**

**तनकी सं0 – 07** आया वादीगण द्वारा पूर्व में सिविल न्यायालय अटरू में दौ वाद पेश किये थे दौनों ही कार्यो में निर्णय किसी कारण वाद खारिज किये जा चुके है।

**(भा.सं0 प्रतिवादीगण )**

**तनकी सं0– 08.** आया प्रतिवादी द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.05.1995 एक विधिक आदेश है जिसकों खारीज कराने के लिये वादीगण ने वाद पेश किया था जो दिनांक 02.02.2010 को खारिज हो चुका है।

**(भा0स0 प्रतिवादीगण )**

**तनकी सं0 09.** आया प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नं0 2 व 3 पर में दर्ज आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करके उन्हे पाबन्द कराने के अधिकारी है।

**(भा0स0 प्रतिवादीगण )**

**तनकी सं0 10.** दहरसी।

साक्ष्यवादी के तहत् $PW_1$ के बयान लेखबद्ध किये तथा वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की साक्ष्य प्रतिवादी के तहत $DW_1$ के बयान लेखबद्ध किये तथा अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई।

अभिभाषकगण की बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया मन्दिर श्री कल्याणराय जी के माल छेलाबेल 2063 से 2066 किता 11 रकबा 8.28 है0 भूमि खाते दर्ज है। जो प्रदर्श 1 है। बाद बंदोबस्त जमाबन्दी सं0 2037–40 अनुसार किता 11 रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा माफी अनुदान श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां पुराजी नन्दलाल गोपाल पुत्र राधाकिशन कोम बृाह्मण बारां समभाग दर्ज है।

इससे पूर्व ग्राम छेलाबेल की जमाबन्दी मुताबिक सं0 2005 से 2008 व 2009 से 2012 तक खातेदार श्रीलाल बल्द बाला बक्स हिस्सा 1/4 नंदलाल, गोपाल पिता राधाकिशन 3/4 एवं मुताबिक जमाबन्दी 2009 से 2012 अनुसार किता 14 रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है।

इसी प्रकार जमाबन्दी सं0 2062 से 63 किता 3 रकबा 4.60 है0 भूमि वर्तमान मे श्री कल्याणराय जी ठाकुर जी विराजमान के खाते दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 माल मूण्डला की खाता संख्या 239 रिज्यूम 1.08.1960 श्री कल्याणराज जी ठाकुर विराजमान मंन्दिर अटरू पुजारी नन्दलाल गोपाल बल्द राधा किशन बारां के नाम किता 1.28 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है। जो प्रदर्श 7 है। तथा सम्वत् 2010 से 2013 में भी उक्तानुसार दर्ज है।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः–

**तनकी सं0 – 01**. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थित है जिसकी पूजा अर्चना पुजारी के रूप में वादीगण तथा उनके पूर्वज सम्वत् 1537 से ही करते चले आ रहे है। जो वर्तमान में भी कर रहे है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था पत्रावली में शामिल जमाबन्दी सं0 2037 से 2040 किता 11 रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा माफी अनुदान श्री कल्याणराज जी विराजमान बारां पुजारी नन्दलाल गोपाल पुत्र राधाकिशन कोम बृाह्मण समभाग दर्ज है। इससे पूर्व ग्राम छैलाबेल की जमाबन्दी मुताबिक सं0 2005 से 2008 व 2009 से 12 तक खातेदार श्री लाल बल्द बाला बक्स हिस्सा 1/4 नन्दलाल गोपाल पिता राधा किशन 3/4 एवं मुताबिक जमाबन्दी 2009 से 2012 अनुसार किता 14 रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है। जिस पर वादीगण के पूर्वज व बाद में वादीगण का नाम पुजारी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। तथा ग्राम मूण्डला की खाता सं0 239 रिज्यूम भूमि 01.08.1960 किता 1 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा भूमि श्री कल्याणराज जी ठाकुर विराजमान मंन्दिर बारां पुजारी नन्दलाल गोपाल पिता राधाकिशन कोम बृाह्मण के नाम दर्ज थी जो प्रदर्श 9 है तथा सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबन्दी में भी उक्तानुसार भूमि दर्ज है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत् दिनांक 01.08.1960 को माफी रिज्यूमशुदा आराजी थी। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र 3 (2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु सं0 02 व 03 में उक्त प्रकार की भूमियों से परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा पुजारी का नाम हटाये जाने को अनुचित माना है। उक्त परिपत्र के बिन्दु सं0 02 के अनुसार तहसीलदार को इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेंस दायर करने के निर्देश दिये गये थे। ये निर्देश परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में भी थे। लेकिन तहसीलदार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना में सभी प्रकरणों में समान निर्णय करते हुए पुजारी का नाम हटा दिया जो कि उचित नहीं है तथा उक्त परिपत्रों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार राजस्व विभाग के परिपत्र प.3(2)/राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 में भी इस प्रकार से बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पुजारी का नाम हटाये जाने को गलत माना है जो भूमियां रिज्यूमशुदा आराजी है।

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने परिपत्र क्रमांक प 63/न्याय/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में पुजारी का नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं. 520 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज बनाम सरकार में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुजारी नाम जोड़ने के आदेश किये है तथा व्यवस्था दी है कि –''जब केसरदास का उक्त मंदिर श्री ठाकुर जी का पुजारी होना साबित है तो वह राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 24.05.2007, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 25.11.2011 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था./प–63/2005/12446–79 दिनांक 10.02.2011 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड दुरूस्त कराकर मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के साथ खुद को पुजारी दर्ज कराने का अधिकारी है।'' यह व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में भी हुबहु लागू होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं0 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

**<u>तनकी सं0 – 02.</u>** आया माल हेलाबेल में किता 11 का रकबा 8.20 है0 पर खातेदार मन्दिर कल्याणराय जी महाराज विराजमान दर्ज है वह गलत दर्ज है। व तनकी नं0 3 आया माल मण्डला तहसील अटरू में कुल किता 3 का कुल रकबा 4.60 है0 आराजी खातेदार श्री कल्याणराय जी ठाकुर जी बारां के नाम दर्ज है गलत दर्ज है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर नकल जमाबन्दी ग्राम छैलाबेल की सम्वत् 2037 से 2040 किता 11 रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा भूमि माफी अनुदान श्री कल्याणराज जी विराजमान बारां पुजारी नन्दलाल, गोपाल पुत्र राधा किशन कोम बल्द दर्ज है। तथा ग्राम मूण्डला की खाता सं0 239 जिज्यूम भूमि 01.08.1960 किता 1 रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा भूमि कल्याणराय जी ठाकुर विराजमान मंन्दिर बारां पुराजी नन्दलाल गोपाल पिता राधाकिशन कोम बृाह्मण के नाम दर्ज है। उपरोक्त जमाबन्दियों एवं गवाहओं के कथन अनुसार माल छेलाबेल व ग्राम मूण्डला की आराजी पर खातेदार मंन्दिर कल्याणराय जी महाराज बारां दर्ज है, जो गलत है क्योंकि खातेदार मन्दिर श्री कल्याणराय जी के

साथ पुजारी वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था इसलिये तनकी नं0 2 व 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी सं0 –04.** आया वाद पत्र के मद 2,3,4,5,6 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में माफीदार नंदलाल गोपाल के नाम दर्ज है। अब वादीगण उनके वंशज उक्त आराजी अपने नाम खाता दर्ज करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसके सम्बन्ध में पत्रावली में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 ग्राम छेलाबेल प्रदर्श 3 में व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 माल मूण्डला प्रदर्श 9 में माफीदार नन्दलाल गोपाल के नाम दर्ज है। रिकार्ड व साक्ष्य अनुसार वादी खातेदार नन्दलाल का वारिस है। जिसको रिकार्ड अनुसार अपना नाम खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में कथन किया गया है कि ''राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की निरन्तरता में परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसके बिन्दु सं0 03 के अनुसार जिन कृषकों को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये परन्तु मूर्ति मंदिर की माफी भूमि मानकर दायर रेफरेंस केस लम्बित है उनका इस परिपत्र के अनुसार निस्तारण होने से निराकरण हो जाता है परन्तु उन मामलों में जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अर्थात् रेफरेंस दायर किये बिना ही पत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी प्राप्त कृषकों की खातेदारी विलोपित कर दी है उनकी समस्या निराकरण किये जाने का परिपत्र दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट प्रावधान नहीं है ऐसे मामलों में धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णीत किये जाने चाहिए।''

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं0 04 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

**तनकी सं0 – 05.** आया न्यायालय सिविल न्यायालय किशनगंज संख्या 76/96 निर्णय 22.12.99 का वाद पर क्या असर है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसको $PW_1$ प्रेमशंकर ने अपने बयानो में कथन किया कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज ने पत्रावली संख्या 76/96 निर्णय दिनांक 22.12.1999 से उपशासन सचिव का विवादित आदेश दिनांक 31.05.1993 अप्रावी एवं शून्य घोषित किया है। परन्तु प्रतिवादीगण की

ओर से इस सम्बन्ध में कोई खण्डन नही किया गया है, और न ही जिरह में इस सम्बन्ध में कोई जिरह की गई है। इसलिये तनकी नं0 5 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी सं0 –06.** आया वादीगण को मूर्ति कल्याणराय जी की सेवा पूजा को सुखाधिकार प्राप्त है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण की ओर से पी0डब्ल्यू0 1 प्रेमशंकर ने प्रदर्श 3 व प्रदर्श 9 खाते की नकल पेश कर साक्ष्य दी है कि ग्राम छैलाबेल व मूण्डला से स्थित भूमि मंन्दिर श्री कल्याणराय जी की है। जिसमें वादी के पिता नन्दालाल व काका का नाम दर्ज है। मंन्दिर की सम्पत्ति से प्राप्त आप से ही मंन्दिर का खर्चा व भार वहन करता है। एवं अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश महोदय बारां ने भी अपने निर्णित दिनांक 06.01.2016 में जो प्रदर्श 20 है0, में मन्दिर का पुजारी माना है। इससे साबित है कि वादी को मूर्ति कल्याणराय जी की सेवा पूजा का अधिकार प्राप्त है। अतः तनकी नं0 6 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी सं0 – 07** आया वादीगण द्वारा पूर्व में सिविल न्यायालय अटरू में दौ वाद पेश किये थे दौनों ही कार्यो में निर्णय किसी कारण वाद खारिज किये जा चुके है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था इसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई रिकार्ड व निर्णय की प्रतियां बाद में पेश नही की जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण द्वारा पूर्व में कोई सिविल वाद पेश किये हो जो खारिज हो चुके हो अतः तनकी नं0 7 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

**तनकी सं0– 08.** आया प्रतिवादी द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.05.1995 एक विधिक आदेश है जिसकों खारीज कराने के लिये वादीगण ने वाद पेश किया था जो दिनांक 02.02.2010 को खारिज हो चुका है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था पत्रावली में 31.05. 1995 का कोई आदेश उपलब्ध नही है, और न ही उस आदेश को खारिज करवाने के लिये वादीगण द्वारा वाद पेश किया था जो दिनांक 02.02.2010 को खारिज हो चुका हो अतः तनकी नं0 8 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

**तनकी सं0 09.** आया प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नं0 2 व 3 पर में दर्ज आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करके उन्हे पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था माल छैलाबेल व माल मूण्डला की आराजी पर

वादी का पूर्वजों के समय से वंशानुगत कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। जिस पर से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुये वादीगण को बेदखल कर कब्जा नही दिलाया जा सकता। अतः तनकी नं0 9 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

**—:: कियात्मक आदेश ::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी कम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छैलाबेल की ख0नं0 318/710 की रकबा 0.05 है0 ख0नं0 321/644 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 322 रकबा 3.13 है0 ख0नं0 323 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.26 है0 ख0नं0 326 रकबा 1.44 है0 ख0नं0 327 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 336/720 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 337 रकबा 1.94 है0 ख0नं0 338 रकबा 0.32 है0 ख0नं0 344/706 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 का रकबा 8.28 है0, एवं वाके माल ग्राम मूण्डला की आराजी ख0नं0 1/1233 रकबा 0.09है0, ख0नं0 2/1234रकबा 0.30 है0, ख0नं0 8 का रकबा 4.21 है0 कुल 3 किता 4.60 है0 आराजी में रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज खातेदार के साथ वादी प्रेमशंकर पुत्र नन्दलाल जाति बृाह्मण निवासी बारां को पुजारी दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। इन्हें भूमि को उपयोग उपभोग का अधिकार होगा विक्रय रहन का कोई अधिकार नही होगा। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(कृष्णगोपाल जोजन)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 26/2010**

**उनवान**

1. प्रेमशंकर पुत्र श्री नन्दलाल आयु 60 वर्ष जाति ब्राहमण साकिन श्री जी मन्दिर बारां पुजारी व व्यवस्थापक मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जिला बारां (राज0)
2. मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जर्ये पुजारी व्यवस्थापक वादमित्र प्रेमशंकर पुत्र नन्दलाल ब्राहमण नि0 बारां।

**वादीगण**

**बनाम**

1. राज0 शासन जर्ये तहसीलदार साहब अटरू
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0एक्ट0**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

**बहाजिर :–**

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छैलाबेल की ख0नं0 318/710 की रकबा 0.05 है0 ख0नं0 321/644 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 322 रकबा 3.13 है0 ख0नं0 323 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.26 है0 ख0नं0 326 रकबा 1.44 है0 ख0नं0 327 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 336/720 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 337 रकबा 1.94 है0 ख0नं0 338 रकबा 0.32 है0 ख0नं0 344/706 रकबा 0.15 है0 कुल किता 11 का रकबा 8.28 है0, एवं वाके माल ग्राम मूण्डला की आराजी ख0नं0 1/1233 रकबा 0.09है0, ख0नं0 2/1234रकबा 0.30 है0, ख0नं0 8 का रकबा 4.21 है0 कुल 3 किता 4.60 है0 आराजी में रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज खातेदार के साथ वादी प्रेमशंकर पुत्र नन्दलाल जाति बृाह्मण निवासी बारां को पुजारी दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। इन्हें भूमि को उपयोग उपभोग का अधिकार होगा विक्रय रहन का कोई अधिकार नही होगा। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें।

**(कृष्णगोपाल जोजन)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**



Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:20:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: